

पत्रक

जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़।

सेवा में

प्रबन्धक,
सेन्ट जेवियर्स स्कूल रजौतपुर चिलबिला
प्रतापगढ़

पत्रांक/मान्यता/

10911-17

/2012-13 दिनांक 18-10-12

विषय-निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोग के लिये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

आप के तारीख 22-10-2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परधानवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सेन्ट जेवियर्स स्कूल रजौतपुर चिलबिला प्रतापगढ़ को तारीख 01-07-2012 से तारीख 30-06-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अगली मान्यता) के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यन्त मान्यता/संरक्षण करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार, निशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अधिपूरित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

Sarje
MANAGER
ST XAVIER'S SCHOOL
Ranjeetpur Chilbila
Pratapgarh (I.P.)

Principal
Principal
St. Xaviers School
School No.- 71133
Ranjeetpur Chilbila, Pratapgarh

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-	828 हेक्टेयर
कुल निर्मित क्षेत्र-	07 बिघा
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल-	737 हेक्टेयर
कक्षाओं की संख्या-	10
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भाडागार के लिये कहा-	03
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय-	8
पैयजल सुविधा-	8
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-	8
बाग्य रहित-पहुच	8

- अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जाएगी।
 - 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और क्रीडा विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
 - 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
 - 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
 - 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भजी जानी चाहिये।
 - 14- आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक E-0006 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
 - 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी को इस अनुरोधों का ध्यान देना है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये विद्यालय के कार्यक्षेत्र की समीक्षा को दूर करने के लिये जारी किए जाए।
 - 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 - 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय
 (एस0 टी0 हुसैन)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 प्रतापगढ़
 /2012-13 दिनांक उत्तराखण्ड

पू0सं0/मान्यता/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0, शिक्षा सामान्य(2) अन्तर्गत, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 6- कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु।

(एस0 टी0 हुसैन)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 प्रतापगढ़

Sanjeet
 MANAGER
 ST XAVIER'S SCHOOL
 Ranjeetpur Chibila
 Pratapgarh (U.P.)

Principal
 Principal
 St. Xaviers School
 School No.- 71133
 Ranjeetpur Chibila, Pratapgarh